

राजस्थान सरकार
न्यायालय भू.अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
(पीटासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)कैम्प निम्वाहेड़ा

—: आदेश :—

प्रार्थी के खता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी निम्वाहेड़ा व भू.अ.नि. रामपाल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेड़ा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जालिया खेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2070-71 में खाता संख्या 21 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्ट को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:—

क. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि(अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>जालिया खेड़ा</u>	<u>21</u>	<u>गोपाल सिंघ</u> <u>छीरमल अ.</u>	<u>रामगोपाल सिंघ</u> <u>छीरमल अ.</u>

(रतनलाल रेगर)

पीटासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
भू.अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
बनेड़ा जिला - भीलवाड़ा

क्रमांक :- 756/17
प्रतिलिपी :-

दिनांक:- 14/7/17

1. तहसीलदार बनेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री रामगोपाल अ/छीरमल को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली अ. छीरमल अ.

(रतनलाल रेगर)

पीटासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
भू.अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
बनेड़ा जिला - भीलवाड़ा